भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5035
उत्तर देने की तारीख : 25.03.2021

अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति का वितरण

5035. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीरः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के संज्ञान में आया है कि अल्पसंख्यकों को विभिन्न छात्रवृत्ति प्रदान करने में देरी हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) अल्पसंख्यक छात्रों हेतु समय पर छात्रवृत्ति का विवरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) से (ख): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों यानी बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्तियां संवितरित करता है। इन योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार–एक शैक्षणिक वर्ष में किसी विशेष कक्षा में अध्ययन करने वाले लाभार्थी को उसी शैक्षणिक वर्ष के दौरान उक्त कक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तद्नुसार, इन योजनाओं के अधीन छात्रवृत्तियां शैक्षणिक वर्ष के भीतर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के तहत सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाती हैं। किसी शैक्षिक वर्ष में जिन छात्रवृत्तियों का भुगतान में विफलता, बैंक वैधीकरण में विलम्ब या भुगतान फाइलों पर डिजीटली हस्ताक्षर करने में राज्यों की ओर से देरी जैसे तकनीकी कारणों की वजह से भुगतान नहीं हो पाता है, तो उन्हें सुधार करने/राज्यों द्वारा भुगतान फाइलों पर हस्ताक्षर करने के बाद अगले शैक्षिक वर्ष में लाभार्थी के खातों में जमा कर दिया जाता है।

*****